छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 25 नवंबर 2016

क्रमांक एफ 20–36/2014/11/6, चूंकि राज्य सरकार यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन छत्तीसगढ़ की स्टार्ट अप इकाईयों को विशेष सुविधायें प्रदान करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.01.2015 द्वारा जारी औद्योगिक नीति 2014–19 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

(एक) **स्टार्ट अप पैकेज** का लाभ **स्टार्ट अप यूनिट्स** को देने के लिये प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014–19 में कंडिका–15 में उप कंडिका 15.25 निम्नानुसार जोड़ी जाये:–

15.25 भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप यूनिट को प्रदेश में उत्पादन प्रारंभ करने पर उसे औद्योगिक नीति 2014–19 में प्राथमिकता उद्योग माना जाएगा। इसमें उद्योग एवं सेवा इकाईयां दोनो सम्मिलित होंगी तथा ऐसी स्टार्ट अप यूनिट को नवीन परिशिष्ठ –6 (अ) अंनुसार अनुदान एवं छूट पात्रतानुसार प्राप्त होंगे।

(दो) औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषाएं में निम्नानुसार अनुक्रमांक–54 जोड़ा जाये :–

54 **स्टार्ट अप** की वही परिभाषा मान्य होगी जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2016 को अधिसूचित की गई है। इसके अनुसार किसी संस्था को निम्नानुसार स्टार्ट अप माना जाये :–

(क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि की से पांच वर्ष तक,

(ख) यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार (टर्नओवर) 25 करोड़ से अधिक नहीं है, और

(ग) वह अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिकी संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा है, पहले से ही अस्तित्व वाले किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निमाण के माध्यम से बनाई गई किसी संस्था को 'स्टार्ट अप' नहीं माना जाएगा।

(घ) इस अधिसूचना में दिये गये निम्न स्पष्टीकरण भी मान्य होंगे :–

स्पष्टीकरण :

1 कोई संस्थान अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में कारोबार 25 करोड़ रूपये से अधिक होने पर "स्टार्टअप" के रूप में नहीं माना जाएगा।

2 संस्थान का अर्थ है – कोई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत)।

3 कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित किए अनुसार है।

4 किसी संस्थान को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यिकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यीकरण करना है :

(क) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया अथवा

(ख) महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के सृजन या उसके मूल्य संवर्धन में सहायक हो।

5 मात्र निम्नलिखित को विकसित करने संबंधी कार्य को इस परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगा :–

(क) उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं जिनमें वाणिज्यिकरण की संभावना नहीं हो, अथवा

(ख) एकसमान उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं अथवा

(ग) उत्पाद या सेवा या प्रक्रियाएं जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के संबंध में मूल्य संवर्धन नहीं करते या सीमित वृद्धि करते हों,

उक्त परिभाषा समय समय पर भारत सरकार द्वारा संशोधन के अनुरूप मान्य होगी।

(तीन) औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–3 प्राथमिकता उद्योगों की सूची (अ) वर्गीकरण के आधार पर में अनुक्रमांक–24 निम्नानुसार जोड़ा जाये:–

24 भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले **स्टार्ट अप** यूनिट। इनके लिए निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी।

(चार) प्रदेश में स्थापित होने वाली स्र्टाटअप इकाईयो को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नांकित **स्टार्ट अप पैकेज** को औद्योगिक नीति 2014–19 में परिशिष्ट –6 (अ) के रूप में जोड़ा जाये :–

परिशिष्ट –6 (अ)

स्टार्ट अप पैकेज

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले **स्टार्ट अप यूनिट** को औद्योगिक नीति 2014–19 में प्राथमिकता उद्योग माना जाएगा व इसके लिये निवेश की कोई न्यूनतम् सीमा नहीं होगी। उसे **स्टार्ट अप पैकेज** के रूप में औद्योगिक नीति 2014–19 के निम्न अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी:–

1 ब्याज अनुदान – सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये वार्षिक।

2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान–

क.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		प्रतिशत	अधिकतम राशि (लाख रू मे)
1	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	35	60
2	मध्यम उद्योग	35	70
3	वृहद उद्योग	35	110
4	मेगा उद्योग	40	350

3 विद्युत शुल्क छूट– शतप्रतिशत छूट ।

4 भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

5 लिये गये ऋण पर भी तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

6 (अ) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(ब) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.25 लाख।

(स) तकनीकी पेटेंट अनुदान– पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख ।

(द) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख ।

7 उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर सभी स्टार्ट अप को भू–प्रब्याजी में 60 प्रतिशत छूट ।

8 छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्ट अप को प्रारंभिक वर्षो के लिये श्रम कानूनों में स्व–प्रमाणन के द्वारा अनुपालन की व्यवस्था लागू की जावेगी।

9 स्टार्ट अप पैकेज मे औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :–

9.1 छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले इस प्रकार के पहले छत्तीस (36) **स्टार्ट अप यूनिट्स** को वैध रहने पर 03 वर्षों तक राज्य सरकार के समस्त कर जो उसके द्वारा पटाए गए हों, रिफण्ड को छोड़कर, की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति (Reimburse) की जायेगी।

9..2 **किराया अनुदान–** छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले **स्टार्ट अप यूनिट्स** को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रू 8000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी।

10 **स्टार्टअप की वैधता समाप्त हो जाने के उपरान्त उपलब्ध सुविधायें:–**

इस पैकेज की टीप क्रमांक – 5 के अनुसार कार्यवाही करने पर यदि स्टार्ट अप यूनिट वैध स्टार्ट अप यूनिट नही रह जाती है तो यदि संबंधित यूनिट को औद्योगिक नीति 2014–19 में प्रावधानित अनुदान एवं छूट मिलने की पात्रता आती है, तो उसे इनका लाभ उक्त औद्योगिक नीति के अंतर्गत संबधित अनुदान/छूट के लिये जारी अधिसूचना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन देने पर औद्योगिक नीति 2014–19 में प्रावधानित अवधि में से स्टार्टअप पेकेज का लाभ लेने की अवधि/मात्रा को कम करने के बाद शेष अवधि/मात्रा के लिये अनुदान/छूट दी जायेगी।

11. **स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओ का विकास**

11.1 भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध **स्टार्ट अप** यूनिट अनुमोदन के पश्चात पात्रता अनुसार सिंगल विण्डो सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकांक्षा में पंजीयन प्राप्त करेगी, जिससे उन्हें राज्य शासन द्वारा दी जा रही ऑनलाईन अनुमतियां एवं सुविधायें आसानी से उपलब्ध होगी।

11.2 स्टार्टअप यूनिट को प्रारंभ से ही विभिन्न कार्यवाहियों के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से उद्योग संचालनालय

में स्टार्टअप प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ ऑनलाइन तथा प्रत्यक्ष संपर्क से कार्यवाहियां करेगा।

11.3 स्टार्टअप यूनिट प्रारंभ करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराना एवं उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल एप बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

11.4 स्टार्टअप यूनिट को प्रारंभिक तीन वर्षो के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर श्रम, वाणिज्यिक कर तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जाऐंगे।

11.5 स्टार्टअप यूनिट की स्थापना के लिए पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंको से ऋण लेने के लिए संपार्श्विक जमानत के विकल्प के रूप में क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना का अंशदान शासन द्वारा वहन किया जाता है।

11.6 प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों विशेषतः सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत स्टार्टअप यूनिटो की स्थापना हेतु कैंप के आयोजन एवं शुश्रुषा हेतु इनक्यूबेटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

11.7 प्रदेश में स्टार्ट अप इकाईयों के चयन एवं विकास के लिये समय–समय पर स्टार्ट अप फेस्ट (मेले) आयोजित किये जायेगें, जिसमें नवागंतुक स्टार्ट अप उद्यमी एवं इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म प्राप्त हो।

11.8 इसके साथ ही प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय कर स्टार्ट अप इकाईयों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जायेगा।

11.9 स्टार्ट अप यूनिटों को नवीन उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने के लिये प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर नवाचार हेतु प्रेरित किये जाने का प्रयास किया जायेगा जिससे औद्योगिक इकाईयों में उत्पाद बनाने में अभिनवीकरण एवं मूल्य संवर्धन हो सके।

टीप – उक्त पैकेज देने के लिए निम्नांकित का पालन सुनिश्चित किया जायेगा:–

1 उक्त पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2014–19 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी।

2 इस पैकेज का लाभ लेने पर स्टार्ट अप को राज्य शासन से अन्य समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो)

के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से भारत सरकार से समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त हैं तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे।

3. इस पैकेज के तहत पात्र **स्टार्ट अप** संस्थान को उक्त अनुसार अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी.आई निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो, चाहे विकासशील क्षेत्र में हो या पिछड़े क्षेत्र में, चाहे मैन्यूफेक्चरिंग के क्षेत्र हो या सेवा प्रदाय क्षेत्र में हो।

4 इस पैकेज का लाभ इकाई को तब तक ही प्राप्त होगा जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है अर्थात उसे 5 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 25 करोड़ से अधिक न हुआ हो। इसका अर्थ यह है कि 5 वर्ष से अधिक का समय हो जाने अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 25 करोड़ से अधिक हो जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष से इकाई स्टार्टअप पैकेज का लाभ लेने के लिये अपात्र हो जायेगी।

5. पैकेज की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा।

यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 20–21/2016/11/6 नया रायपुर दिनांक नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय रायपुर छ.ग.
2. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर, छ.ग.
3 समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़
4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5 नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, ~~सचिव~~ रायपुर छत्तीसगढ़
कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने तथा 250 प्रतिया विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग